फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

भंवर बनाम भेरू(वगैरा)

...न मुकदमा प्रा-पत्र 111-128 नं० 108 सन 2020

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
...0 वाद / ~~प्रार्थनापत्र~~ बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 11-8-20 को पेश हो । (हस्ताक्षर) उपखण्ड आधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल	
11/8 पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 25-8-20 को पेश हो।	
.../20 उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है अतः पत्रावली दिनांक 15-9-20 को पेश हो। (हस्ताक्षर) रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
...-20 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थिया उपस्थित, अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किये गये, तहसीलदार मांडल से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शा. प० की गई, अप्रार्थीगण को तीन मर्तबा आवाजे दिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित नहीं, इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है वकील प्रार्थिया ने बहस करनी चाही। बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.09.30 10:49:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

व लो...
अहकाम जो...
हुक्म की ता...
में जारी हु...

राजस्थान –सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

ासीन अधिकारी–महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

दमा संख्या – 108/20 प्रा०फा०

श्री गंवर S/o श्री बालु नट निवासी केरिया हाल निवासी नानकपुरा त० माण्डल

चुन्नी पुत्री लक्ष्मण नट निवासी केरिया तहसील माण्डल

–प्रार्थी

बनाम

A भैरू S/o श्री जगदीश दरोगा निवासी केरिया तहसील माण्डल

श्री अन्नु S/o श्री जगदीश दरोगा —————"—————

श्रीमती कमला बेवा जगदीश दरोगा —————"—————

राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार माण्डल तहसील माण्डल

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांकः– 15-09-20

::आदेश::

ी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन ा कि ग्राम......केरिया......पटवार हल्का......केरिया......तहसील माण्डल में उसके /संयुक्त खाते की आराजी न.3167/2841......कुल किता...01......रकबा...04......ा...05......बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीना चिन्ह होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 02-07-20......को पंजीबद्व किया जाकर रण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से रगढी कराने का अधिकारी हैं। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की –फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को ते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

र्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम......केरिया .... पटवार हल्का......केरिया......तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की राजी नं......3167/2841......कुल किता......01......रकबा......04......ा......05......बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये ने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक आलमास......400/– पये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा रावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये खते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की ावें।

उपखण्ड अधिकारी
माडल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.09.30 10:49:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner